"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 269] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 1 जुलाई 2016— आषाढ़ 10, शक 1938

ग्रामोद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 जून 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-5/2006/(6)52. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, भारतीय हाथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2013 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,-

नियम 8 के खण्ड (एक) के उप-खण्ड (क) में, शब्द "विज्ञापन के जारी होने की तारीख के ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन को" के स्थान पर, शब्द "वर्ष, जिसमें पद हेतु विज्ञापन प्रकाशित होता है, की जनवरी के प्रथम दिन को" प्रतिस्थापित किया जाये.

No. F 1-5/2006/(6)52. — In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the Indian Institute of Handloom Technology (Gazetted) Service Recruitment Rules, 2013, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

In Sub-clause (a) of clause (I) of rule 8, for the words "on the first day of January, next following the date of issue of the advertisement", the words "on the first day of January of the year in which the advertisement for the post is published" shall be substituted.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एल. आदिले, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016 .